छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09 मई, 2022

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022)"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (**Proprietary Character**) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रू. **50,000 (पचास हजार)** से अधिक की न हो।"

(दो) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रू. **50,001 से 3,00,000 (रूपए पचास हजार एक से रूपए से तीन लाख)** तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

परंतु, वे <u>परिशिष्ट-1</u> की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर/उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।"

(तीन) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.3.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :–

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य –

(1) **रू. 3,00,001 से 5.00 लाख** तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।

(2) **रू. 5.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख** तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।

परन्तु, खुली निविदा पद्धति में **प्रथम बार** आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।"

(चार) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.4.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जायेगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे–लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।"

(पांच) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	15	10	5
खुली निविदा (रू. 3,00,001 से अधिक रू. 10 लाख तक)	21	14	7
खुली निविदा (रू. 10 लाख से अधिक)	30	20	10
ग्लोबल निविदा	45	30	20

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

(छः) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.6.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी व्यवस्था–

(अ) निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ब) एक लिफाफे में **अमानत राशि (ईएमडी)** अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के उपर लिखा जाएगा।

(स) **अमानत राशि (ईएमडी)** वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त **अमानत राशि (ईएमडी)** अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

(द) ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑन-लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(सात) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अमानत राशि (ईएमडी) संबंधी निर्देश -

(अ) केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्मे ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित **क्रय मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी)** प्राप्त की जाये। यह अमानत राशि (ईएमडी) सफल निविदाकार की रोककर, शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए।

(ब) प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाये।

(स) इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

(आठ) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.7 के पश्चात नवीन उपनियम 4.7.1 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

सुरक्षा निधि प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश-

निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये।

(नौ) उक्त अधिसूचना के नियम-4 के उपनियम 4.8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

<u>सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) के प्रकार-</u>

(अ) सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ब) निविदाकार को **सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी)** चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, में जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

"8443 – सिविल जमा राशियां
103 – प्रतिभूति जमा"

(स) निविदाकार चाहे तो **सुरक्षा निधि/अमानत राशि (ईएमडी)** शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनूसूचित बैकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।

(दस) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्रय की शर्तें–

(अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग–अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

(ब) राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, **तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए,** ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बनें।

(स) निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावें।

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमे यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहॉ आवश्यक हो लिया जावे।

(ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहॉ स्थित है, जहॉ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा।

(फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो।

(ज) क्रयकर्ता अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है।

(ह) निविदा प्रपत्र में प्रदायक / विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टतः उल्लेखित किया जावे।

(ग्यारह) उक्त अधिसूचना के नियम–4 के उपनियम 4.14 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना –

किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है ।

यह भी कि परिशिष्ट–1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट–2 की वस्तु होने की स्थिति में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो।

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6(छः) माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

किन्तु, दर अनुबंध के **1(एक) वर्ष + छः माह** से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।

(बारह) उक्त अधिसूचना के नियम-5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें एवं वाहन की दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो, हेतु विभाग द्वारा ऐसे वस्तुऐं जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी जेम वेबसाईट (GeM Website) में उपलब्ध हो, का क्रय आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (GeM Website)से सीधे क्रय कर सकेगा। किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेबसाईट से संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिक्रेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

(तेरह) उक्त अधिसूचना के नियम-5 के उपनियम 5.1 - विलोपित

(चौदह) उक्त अधिसूचना के नियम-7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)'' परिशिष्ट-1 एवं ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तो का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तो के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तो के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण, परिशिष्ट-1 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)'' व परिशिष्ट-2 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

(पंद्रह) उक्त अधिसूचना के नियम-7 के उपनियम 7.5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 व छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।

(सोलह) उक्त अधिसूचना के नियम-12 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

<u>निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना :-</u>

वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अतः रूपए **तीन लाख** या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।

(सत्रह) उक्त अधिसूचना के नियम-15 - विलोपित

(अट्ठारह) उक्त अधिसूचना के नियम–15 के उपनियम 15.4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

जिन वस्तुओं की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जावे।

(उन्नीस) उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–70/2004/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक मई, 2022

प्रतिलिपि :–

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ शासन, समस्त विभाग ....., मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. **संचालक उद्योग,** उद्योग संचालनालय (छ0ग0) रायपुर
3. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

हस्ता.

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग